परिशिष्ट

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक/एफ 12-35/2006/4/25 भोपाल,दिनांक 28 फरवरी 2009

प्रति

आयुक्त

अनुसूचित जाति विकास

म.प्र. भोपाल

विषयः-पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अध्ययनरत/निवासरत अनुसूचित जाति के छात्र/ छात्राओं को अंग्रेजी विषय की कोचिंग दिये जाने हेतु ।

::00::

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु जिला स्तर पर सुचारू व्यवस्था किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :-

(1) पात्रताः-

1.1 प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे छात्र-छात्रायें जो कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वीं अथवा उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हों एवं विभागीय पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में निवासरत हो इस योजना के लिये पात्र होंगे ।

(2) **कोचिंग के वित्तीय/प्रशासनिक मापदण्डः-**

योजना का कियान्वयन निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार किया जावेगाः-

2.1 विषय विशेषज्ञों को 200/- प्रति काल खण्ड के मान से मानदेय दिया जावेगा । काल खण्ड की न्यूनतम अवधि एक घंटा होगी । (माह में कम से कम 20 कालखण्ड लिये जाना आवश्यक होगा)

2.2 यह कोचिंग संबंधित छात्रावास में ही संचालित की जावेगी ।

2.3 एक ही स्थान पर एक से अधिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास हो तो संयुक्त रूप से कोचिंग कक्षाएं लगाई जाये ।

2.4 कन्या छात्रावास में कोचिंग की पृथक से व्यवस्था की जावे ।

2.5 प्रति छात्र-छात्रा स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री कय करने हेतु अधिकतम 500/- रूपये व्यय किया जा सकेगा । यह व्यय एक शैक्षणिक सत्र (10 माह) हेतु होगा ।

2.6 इस राशि से छात्र-छात्राओं की आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित पाठ्य सामग्री व स्टेशनरी कय की जा सकेगी । इस हेतु कोचिंग ले रहे छात्र-छात्राओं की समिति गठित कर गठित समिति के माध्यम से पाठ्य सामग्री का निर्धारण किया जा सकेगा ।

2.7 कोचिंग व्यवस्था 1 जुलाई अथवा छात्र-छात्राओं के छात्रावास में वास्तविक रूप से प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभ होगी ।

2.8 पचास छात्र-छात्राओं के विरूद्ध कम से कम 15 छात्र/छात्रायें कोचिंग क्लास में उपस्थित हों तभी कक्षाये संचालित की जावे ।

/2/

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

(3) प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन:--

3.1 इस हेतु जिला स्तर पर शिक्षकों के चयन हेतु एक समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार अध्यक्ष / सदस्य होंगे :–

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	जिला शिक्षाधिकारी	सदस्य
4.	प्राचार्य उत्कष्ट विद्यालय	सदस्य
5.	सहायक आयुक्त / जिला संयोजक	सदस्य सचिव

3.2 उक्त समिति निम्न आधारों पर प्राथमिकता के कम में योग्य एवं विषय विशेषज्ञ व्याख्याता का चयन करेगी ।

1. स्थानीय उत्कृष्ठ कॉलेज के विषय विशेषज्ञों में से योग्यता के आधार पर चयन किया जा सकेगा ।

2 स्थानीय कॉलेज के विषय विशेषज्ञ सहायक प्राध्यापक, स्थानीय आदिम जाति कल्याण व शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट शालाओं के योग्य व अनुभवी विषय विशेषज्ञों में से चयन किया जावेगा ।

3. प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थानों के योग्य व अनुभवी विषय विशेषज्ञों को लिया जा सकेगा ।

(4) मूल्यांकन:–

1. योजना का मूल्यांकन संबंधित जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य एवं सहायक आयुक्त / जिला संयोजक सदस्य सचिव होगें, एवं उनके द्वारा समय–समय पर मूल्यांकन कराया जावेगा ।
2. योजना की सतत् मानिटरिंग मुख्य कार्यपालन अधिकारी / जिला पंचायत / संभागीय उपायुक्त की एक समिति बनाकर की जावे जिसमें निम्नानुसार सदस्य होगे, सहायक आयुक्त / जिला संयोजक जिला शिक्षाधिकारी एवं स्थानीय प्राचार्य / प्राचार्या जो कलेक्टर द्वारा नामांकित किया जावेगा।

(5) प्रतिवेदन:–

सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, प्रशिक्षण उपरांत योजना के कियान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन सत्र के अंत में आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगी ।

(6) व्यय लेखा–जोखा :–

योजना के संबंध में मदवार व्यय का विस्तृत लेखा--जोखा संबंधित छात्रावास अधीक्षक एवं सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण द्वारा रखा जावेगा। कार्योपरांत राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण--पत्र आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, कार्यालय को भेजा जावेगा।

{ FILENAME \p }

(7) वित्तीय व्यवस्था:–

उक्त योजना का व्यय मांग संख्या––64–मुख्य शीर्ष–2225, अनसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण (01) अनुसूचित जातियों का कल्याण, (277) शिक्षा 0103–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (7562)उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना --42– सहायक अनुदान. 007–अन्य" अंतर्गत विकलनीय होगा ।

(लतीफ खान) 28/2/09
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन कमांक एफ 12–36/2007/4/25 भोपाल,दिनांक 28 फरवरी 09

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, आदिवासी विकास, म0प्र0 भोपाल ।
2. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना मध्य प्रदेश भोपाल ।
3. समस्त संभागायुक्त मध्य प्रदेश ।
4. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश ।
5. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिम जाति
6. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति.अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ।

28/2/09
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सहायक संचालक
वास्ते आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास
मध्य प्रदेश